

कार्यवृत्त
सोमवार, 22 माघ, शक संवत्, 1940
(दिनांक : 11 फरवरी, 2019)

खण्ड-53

अंक-1

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत "वन्दे मातरम्" के साथ आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण के प्रथम, कतिपय अन्य अंशों एवं अन्तिम अंश को पढ़कर सुनाया गया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 10 फरवरी, 2019 की बैठक में दिनांक 11 फरवरी, 2019 से 15 फरवरी, 2019 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

फरवरी, 2019

11	सोमवार	माननीय राज्यपाल का अभिभाषण।
12	मंगलवार	धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण व चर्चा।
13	बुधवार	धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
14	गुरुवार	अवकाश।
15	शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आय-व्ययक प्रस्तुतीकरण (अपराह्न 04:00 बजे)। (2) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण। (3) असरकारी कार्य (आधा दिन)।

निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :-

- श्री देशराज कर्णवाल "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या-1118/XVII-1/2013-01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या-02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक निवासी (Bonafide Residents) हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय"।
- हाजी फुरकान अहमद "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पिरान कलियर दरगाह रूड़की हरिद्वार को सरकारी मेला घोषित किया जाय"।

नियम 105 के निम्नलिखित प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण :-

- श्री देशराज कर्णवाल, "यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।"
- श्री प्रीतम सिंह पंवार, "यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।"

नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण:-

1. श्री देशराज कर्णवाल, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोड़ों रुपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।"

1. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया "बाल गंगा विकास खण्ड" बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"

2. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।"

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सदन की कार्यवाही 03 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।